भाग १ (ख)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

विज्ञप्ति

क्रमांक एफ ७ (१५७) रा० का० ६२

दिनांक २४-५-१९६२

चूंकि विज्ञप्ति संख्या एफ १ (१०) फोरेस्ट ५०-५२२० दिनांक १४-१२-५० के द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम सन १९५३ का अधिनियम १३ के अधीन आरक्षित वन में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव किये गये हैं।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि भी व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों निपटा दी गई है।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हो, भूमि अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित होगई।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम की धारा २० के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे लिखी भूमि को दिनांक १-८-६२ से प्रभाव रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव अधिकार उक्त अधिकारों की संक्षिप्त सूची (१) में उल्लेखित सीमा तक रखते रहेंगे और रियायतें संक्षिप्त सूची २ में उल्लिखित सीमा तक वैसे मौसमों में उक्त वनों के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय पर निर्धारित किये गये रियायतों का उपभोग करेंगे।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	रेन्ज	वनखण्ड	अनुमानित क्षेत्रफल	विशेष विवरण
कोटा	लाडपुरा	लाडपुरा	से जगपुरा	७६०८.३०	सीमा विवरण का परिशिष्ट (क) संलग्न है।